न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– सौरभ स्वामी आई.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 196/2008

1 जगजीत सिंह पुत्र श्री हजूर सिंह
2 बलविन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री हजूर सिंह
3 हजूर सिंह पुत्र श्री भाग सिंह
4 नरेन्द्र कुमारी जोजा हेतराम
} जाति कुम्हार निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 महावीर प्रसाद पुत्र श्री हरीराम
2 सतपाल पुत्र श्री हरीराम
3 गोमादेवी पत्नी स्व. श्री पृथ्वीराज
4 संतोष पुत्र स्व. श्री पृथ्वीराज
5 सहदेव पुत्र स्व. श्री पृथ्वीराज
6 मूर्ति पुत्री स्व. श्री पृथ्वीराज
7 सुमन पुत्र स्व. श्री पृथ्वीराज
8 रजी पत्नी स्व. दुलीचन्द
} जाति ब्राह्मण निवासी साधूवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

9 रामकरण
10 हनुमान
11 श्रवण
12 लिछमा
13 विमला
14 गोरा
15 गीता
16 रोशनी
} पुत्र/पुत्रीयां स्व. श्री दुलीचन्द जाति कुम्हार निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

17 बद्री पुत्र श्री मंशाराम
18 ओमप्रकाश पुत्र श्री मंशाराम
19 गुड्डी पुत्री श्री मंशाराम
} जाति ब्राह्मण निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर

20 राजेन्द्र पुत्र श्री गोपाल राम जाति बिश्नोई निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

21 राजपाल पुत्र श्री सुखदेव सिंह निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।।

22 रूपराम उर्फ गोपीराम पुत्र सुखदेव सिंह जाति कुम्हार निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

23 चनन सिंह पुत्र श्री स्वरूप सिंह जाति कुम्हार निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

24 श्रीमती ललिता सिडाना पत्नी श्री रूप सिडाना
25 रूप सिडाना पुत्र श्री सोहनलाल सिडाना
} जाति अरोड़ा निवासीयान 67 एन ब्लाक श्रीगंगानगर।

26 पदमावती पत्नी श्री सत्यप्रकाश
27 रजनी पत्नी श्री पवन कुमार
28 सुमन पत्नी श्री वेदप्रकाश
} जाति अग्रवाल निवासीयान 66 एन ब्लॉक, श्रीगंगानगर

29 ऑफिसर इन्चार्ज 141 डी एम एल 49 ग्रीफ जरिये कमाडेन्ट, चेतक प्रोजेक्ट साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. घोषणा एवम् स्थाई निषेधाज्ञा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री प्रदीप सिहाग अधिवक्ता	वादीगण
2. श्री दिनेश छाबड़ा अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 24 व 25
3. श्री गौरी शंकर अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 29

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 04.02.2019

वादीगण ने प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण चक 1 डी छोटी के खाता संख्या 24/22 नया पुराना के मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 15 ता 25 के 2.783 हैक्टर है तथा उक्त भूमि की काश्त ग्रेफ भी बनी सड़क जो मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 1 में बनी है से होकर अपने खेत में प्रवेश करते है जो मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 21 से चिपती है।

मुरब्बा नम्बर 36 में संयुक्त खातेदार प्रतिवादीगण है जिससे किला नम्बर 1 में सड़क ग्रेफ विभाग की बनी है जिसमें केवल 0.051 हैक्टर भूमि शेष रही है जिसे प्रतिवादी संख्या 2, 4 व 25 अनाधिकृत रूप से बिना विभाजन आवासीय रूप में प्रयोग करके वादीगण का अपने खेत में आने जाने का रास्ता रोककर वादीगण की भूमि तंग परेशान करके कोड़ी के भाव खरीदना चाहते है जबकि इस मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 1 भी पैमाईश ग्रेफ विभाग वादीगण एवं प्रतिवादीगण की मौजूदगी में करवाई जाकर निशानदेही देनी जरूरी है प्रतिवादीगण मनमर्जी से सड़क के किनारे वादीगण के रास्ते में दिवार निकालकर रास्ता अवरूद्ध करना चाहते है जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है ।

प्रतिवादी संख्या 24 व 25 को वादीगण ने कहा कि आप मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 1 जो ग्रेफ विभाग का है जहां सड़क बनी है इस सड़क से वादीगण अपने खेत में काश्त हेतु प्रवेश करते है आप हमारी तरफ चारदीवारी या निर्माण ना करे तो व दिनांक 13.12.2008 को बमुकाम 1 डी छोटी साफ इन्कार हो गए। यही वाद हेतु वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का है। प्रतिवादीगण संख्या 24 व 25 की कोई खातेदारी भूमि मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 1 में नहीं है यदि उनकी भूमि सड़क के उतर पूर्व की तरफ होती तो उनके खाते में मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 1 दो भागों में विभाजित होता तथा किला नम्बर 1/1 व 1/2 बना होता लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में ऐसा दर्ज नहीं है जिससे स्पष्ट है कि मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 1 जो ग्रेफ विभाग का है उसकी खाली जगह पर प्रतिवादी संख्या 24 व 25 अनाधिकृत रूप से कब्जा कर निर्माण करके वादीगण को उसके खेत से आने–जाने हेतु बाधा खड़ी करके निषेध करना चाहता है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। इसलिये वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी संख्या 24 व 25 के विरूद्ध कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी है तथा न्यायालय यह अनुतोष प्रदान करने में सक्षम है।

वाद पत्र अदालत वाला के क्षेत्राधिकार व श्रमाधिकार में है जो उचित कोर्ट फीस पर समयावधि में प्रस्तुत है। अतः वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 24 व 25 निम्नप्रकार अज्ञाप्ति किया जावे :–

(क) इस अमर कि प्रतिवादीगण संख्या 24 व 25 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि वे चक 1 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 1 में किसी भू–भाग जो वादीगण के किला नम्बर 21 के साथ सड़क का भू–भाग पर निर्माण ना करें तथा कोई अवरोध खड़ा ना करें ।

लगातार 3

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतवादी संख्या 2 ता 10, 12 ता 16, 18, ता 20, 22 व 28 बाद तामिल उपस्थित नहीं आनें पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 29 द्वारा जबाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वादपत्र की चरण संख्या 1, 2 तथा 3 में वर्णित तथ्य जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। वादीगण का यह अभिकथन असत्य, निराधार व मनगढंत है कि प्रतिवादी संख्या 29 मनमर्जी से सड़क के किनारे वादीगण के रास्ते में दीवार निकालकर रास्ता अवरूद्ध करना चाहते है। जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है।

वादपत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित तथ्य जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। वादीगण को प्रतिवादी संख्या 29 के विरूद्ध कोई वादकारण प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए वादीगण का वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 29 की सीमा तक खारिज फरमाया जावे।

वादपत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित तथ्य जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है, तथा वादपत्र की चरण संख्या 6 कानूनी है।

प्रतिवादी द्वारा अपनें जबाब दावा में अतिरिक्त कथन किये कि वादपत्र में यूनियन ऑफ इंडिया को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 29 की सीमा तक वादपत्र खारिज किये जाने योग्य है।

वादीगण द्वारा धारा 80 सी.पी.सी. के अन्तर्गत यूनियन ऑफ इंडिया के सक्षम अधिकारी को नोटिस नहीं दिये जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 29 की सीमा तक वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 24 व 25 के विरूद्ध डिक्री पाने का अनुतोष चाहा गया है एवं प्रतिवादी संख्या 29 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसलिए वादीगण का वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 29 की सीमा तक खारिज फरमाया जावे।

वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 29 को केवल मात्र प्रोफार्मा पक्षकार बनाया गया है। इसलिए भी वादीगण का वादपत्र प्रतिवादी संख्या 29 की सीमा तक खारिज फरमाया जावे।

वादीगण का वाद पत्र बैटर पर्टीकूलरस के अभाव में भी प्रतिवादी संख्या 29 की सीमा तक खारिज फरमाया जावे। अतः श्रीमानजी के समक्ष प्रतिवादी संख्या 29 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत करके अर्ज है कि वादीगण का वादपत्र मय खर्च खारिज फरमाया जावे।

शेष प्रतिवादीगण द्वारा जबाब प्रस्तुत नहीं करनें के कारण पत्रावली का अवलोकन किया जाकर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1. आया वादीगण चक 1 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 1 में बनी सड़क से अपनी भूमि मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 15 ता 25 में जाते है ? — — वादी
2. आया प्रतिवादीगण सड़क के किनारे वादीगण के रास्ता में दीवार निकाल कर रास्ता अवरूद्ध कर रहे है ? — — वादी
3. आया वादी वांछित निषेधाज्ञा प्राप्त करनें का अधिकारी है ? — — वादी
4. आया वाद पत्र में यूनियन आफ इण्डिया को पक्षकार नहीं बनाये जानें के कारण वाद ना काबिल चलनें के है ? — — वादी संख्या 29
5. आया कि वाद 80 सी.पी.सी. के नोटिस के अभाव में ना काबिल चलनें के है ? — — प्रतिवादी 29
6. आया जबाब वाद में वर्णित तथ्यों के आधार पर वाद ना काबिल चलनें के है ? — — प्रतिवादी
7. अनुतोष

लगातार 4

उक्त तनकीयात को सिद्ध करने हेतु वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। प्रतिवादीगण के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करनें पर बहस सुनी गई दौरानें बहस उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा अपनें वाद पत्र एवम् जबाब दावा को दोहराया बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद पत्र का निर्णय तनकीवार निम्नानुसार किया जाता है :–

1. तनकी नम्बर 1 को सिद्ध करनें का भार वादीगण पर था वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर जिरह का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि दौरानें जिरह वादी जगजीतसिंह द्वारा कथन किया गया कि मेरे द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी प्रदर्श 2 में मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 1 विवादित में नहरी 0.051 हैक्टर नहरी दर्ज है, यह बात भी सही है, कि इसके आगे श्रीमति ललीता सिड़ाना पत्नि रूप सिड़ाना दर्ज है, क्योकि रजिस्ट्री इनके नाम से दर्ज है, मेरा मुरब्बा नम्बर 36 से कोई सरोकार नहीं है। यह बात भी सही है, कि मैनें जो दावा किया है, उसमें प्रतिवादी संख्या 29 को कोई नोटिस दावा प्रस्तुत करनें से पूर्व नहीं दिया गया है। अतः तनकी नम्बर 1 का निर्णय वादी के विरूद्ध किया जाता है।
2. तनकी नम्बर 2 को सिद्ध करनें का भार वादी पर था वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे सिद्ध हो कि प्रतिवादीगण सड़क के किनारे वादीगण के रास्ता में दीवार निकाल कर रास्ता अवरूद्ध कर रहे अतः तनकी नम्बर 2 का निर्णय वादी के विरूद्ध किया जाता है।
3. तनकी नम्बर 1 व 2 का निर्णय वादी के विरूद्ध होनें के कारण तनकी नम्बर 3 का निर्णय स्वतः ही वादी के विरूद्ध हो जाता है।
4. तनकी नम्बर 4, 5 व 6 को सिद्ध करनें का भार प्रतिवादी संख्या 29 पर था परन्तु वादी द्वारा दौरानें जिरह यह स्वीकार किया गया है, कि कि मैनें जो दावा किया है, उसमें प्रतिवादी संख्या 29 को कोई नोटिस दावा प्रस्तुत करनें से पूर्व नहीं दिया गया है। अतः तनकी नम्बर 4, 5 व 6 स्वतः ही प्रतिवादी संख्या 29 के पक्ष में सिद्ध होनें के कारण तनकी नम्बर 4, 5 व 6 का निर्णय प्रतिवादी संख्या 29 के पक्ष में किया जाता है।

–:: आदेश ::–

चुँकि तनकी नम्बर 1 ता 3 का निर्णय वादी के विरूद्ध में तथा तनकी नम्बर 4, ता 6, का निर्णय प्रतिवादी संख्या 29 के पक्ष में होनें के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. घोषणा एवम् स्थाई निषेधाज्ञा का वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनाक 04.02.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(सौरभ स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर